मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29-06 2009

क्रमांक–एफ–263 / 2009 / 34 / 2 : केन्द्र शासन के राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा राज्य स्तर पर, राज्य जल मिशन के अधीन कार्य करने हेतु स्टेट वाटर सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (State Water Support Organization) का गठन किया जाता है । इस संगठन के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. केन्द्र शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यह संगठन ग्रामीण जलप्रदाय से संबंधित सॉफ्टवेयर गतिविधियों को संचालित करेगा तथा इसके द्वारा योजना क्रियान्वयन संबंधी कार्यों को नहीं किया जाएगा ।

2. यह संगठन मुख्य रूप से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं [illegible] संगठनों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करेगा एवं सुविधा प्रदाता के (Facilitator) रूप में कार्य करेगा । इसके द्वारा ग्राम स्तर पर वाटर सिक्युरिटी एण्ड सेफ्टी प्लान विकसित किये जाने संबंधी सहायता एवं परामर्श दिया जाएगा ।

3. इस संगठन द्वारा मूल्यांकन, अध्ययन (Evaluation Studies), प्रभाव अध्ययन (Impact Assessment) संबंधी कार्य किये जाना एवं ग्रामीण जलप्रदाय से संबंधित अनुसंधान एवं विकास (R&D) संबंधी गतिविधि का भी संचालन किया जाएगा ।

4. संगठन द्वारा सूचना, शिक्षा, संचार तथा क्षमता वृद्धि (I.E.C. & H.R.D.) गतिविधियों को भी संचालित किया जाएगा ।

5. इस संगठन द्वारा ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम से संबंधित सपोर्ट गतितिधियों का संचालन करने के लिये केन्द्र शासन से आवश्यक धनराशि प्राप्त करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही की जाएगी एवं C.C.D.U. के अंतर्गत संचालित किये जाने वाले बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाएगा ।

6. संगठन द्वारा एम.आई.एस. एवं कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम, जी.आई.एस., मैपिंग तथा ऑन–लाईन अनुश्रवण व्यवस्थाओं से संबंधित कार्य भी किये जायेंगे ।

7. यह संगठन प्रमुख अभियंता के अधीन, प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (सिविल) के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा । भोपाल स्थित विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण, खण्ड के माध्यम से मुख्य गतिविधियों का संचालन किया जाएगा ।

8. इस संगठन द्वारा सी.सी.डी.यू. के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अन्य विशेषज्ञों तथा संस्थाओं को भी आवश्यकतानुसार सहयोजित किया जा सकेगा ।

(आर.के.स्वाई)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रं0 एफ 263/09/2/34/2218 भोपाल, दिनांक 29-06 2009

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत शासन नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल
4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश

प्रमुख सचिव

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग